शीर्ष प्राथमिकता/मा0 उच्च न्यायालय का प्रकरण

संख्या -13/380/84-2-2013-सू0अ0 1/2008 टीसी

प्रेषक,

हरिश्चन्द्र,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

जिला पूर्ति अधिकारी,
इलाहाबाद।

उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक :10 सितम्बर,2013

विषय मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या-52463/08 श्रीमती शहजाद खान बनाम उ0प्र0 राज्य एवं अन्य में राज्य सरकार की ओर से याचिका खारिज किये जाने हेतु प्रतिशपथ पत्र दाखिल किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक संभागीय खाद्य नियंत्रक, इलाहाबाद संभाग, इलाहाबाद के पत्र संख्या- 3213/अधि.अराज./वाद. दिनांक 16 फरवरी, 2012, पत्र संख्या-300/ अधि. अराज./वाद. दिनांक 10 मई, 2011 एवं शासन के पत्र संख्या-87/84-2-2012-सू.अ. 1/2008 टीसी, दिनांक 16 अप्रैल, 2012, पत्र संख्या-198/84-2-2012-सू.अ. 1/2008 टीसी, दिनांक 23 मई, 2012, पत्र संख्या-345/84-2-2012-सू.अ. 1/2008 टीसी, दिनांक 24 अगस्त, 2012, पत्र संख्या-32/84-2-2013-सू.अ. 1/2008 टीसी, दिनांक 01 फरवरी, 2013 तथा पत्र संख्या-198/84-2-2012-सू.अ. 1/2008 टीसी, दिनांक 20 मई, 2013 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके द्वारा इस अनुभाग को दूरभाष पर अवगत कराया गया कि प्रश्नगत याचिका में प्रतिशपथ पत्र मा0 उच्च न्यायालय में दाखिल कर दिया गया है किन्तु दाखिल किये गये प्रतिशपथ पत्र की प्रति अभी तक आपके द्वारा शासन को उपलब्ध नहीं करायी गयी है। मुख्य सचिव, उ.प्र. शासन द्वारा मा. उच्च न्यायालय में योजित याचिकाओं के सम्बन्ध में समीक्षा की जा रही है। अत: कृपया प्रश्नगत याचिका में दाखिल किये गये प्रतिशपथ पत्र की प्रति शासन को प्रत्येक दशा में एक सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(हरिश्चन्द्र)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in